

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट (सोनभद्र)  
पत्रांक- 790 / रेनुकूट / 15-108 दिनांक, रेनुकूट, सितम्बर, १३, 2025  
सेवा में,

महाप्रबन्धक  
नार्दन कोल फील्डस लि०  
बीना-सोनभद्र ।

विषय:- जनपद-सोनभद्र में रेनुकूट वन प्रभाग के अनपरा रेंज अन्तर्गत नार्दन कोल फील्डस लि० की बीना परियोजना को बीना-ककरी एकीकरण परियोजना हेतु 30.50 हे० आरक्षित वन भूमि का 30 वर्षों के लीज पर हस्तान्तरण किये जाने एवं बाधक 14000 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में ।

(ऑन लाईन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/MIN/24551/2017) ।

संदर्भ:-

- 1-भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर एच० अलीगंज, लखनऊ का पत्र संख्या- 8बी/यू०पी०/०५/३४/२०२२/एफ०सी०/२५ दिनांक- 12.04.2022
- 2-मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० लखनऊ का पत्रांक- 2947/11-सी- FP/UP/MIN/24551/2017 लखनऊ दिनांक- 13.04.2022
- 3-इस कार्यालय का पत्रांक- 3298/रेनुकूट/15-108 दिनांक- 20.04.2022
- 4-आपका पत्र दिनांक- 07 दिनांक- 13.07.2022
- 5-इस कार्यालय का पत्रांक- 299/रेनुकूट/15-108 दिनांक- 21.07.2022
- 6-आपका पत्र संख्या- 19 दिनांक- 29.09.2022
- 7-इस कार्यालय का पत्र संख्या- 1341/रेनुकूट/15-108 दिनांक- 18.10.2022
- 8-मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० लखनऊ का पत्रांक- 1676/11-सी- FP/UP/MIN/24551/2017 लखनऊ दिनांक- 14.11.2022
- 9-इस कार्यालय का पत्रांक- 1594/रेनुकूट/15-108 दिनांक- 15.11.2022
- 10-आपका पत्र संख्या- 27 दिनांक- 25.11.2022
- 11-इस कार्यालय का पत्रांक- 2201/रेनुकूट/15-108 दिनांक- 04.01.2023
- 12-मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० लखनऊ का पत्रांक- 2548/11-सी- FP/UP/MIN/24551/2017 लखनऊ दिनांक- 09.02.2023
- 13-भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर एच० अलीगंज, लखनऊ का पत्र संख्या- 8बी/यू०पी०/०५/३४/२०२२/एफ०सी०/९९१ दिनांक- 29.03.2023
- 14-मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० लखनऊ का पत्रांक- 3150/11-सी- FP/UP/MIN/24551/2017 लखनऊ दिनांक- 31.03.2023
- 15-इस कार्यालय का पत्रांक- 3339/रेनुकूट/15-108 दिनांक- 01.04.2023
- 16-आपका पत्रांक- बीना/उ०प्र० वन/एफ०सी०/२०२३/६ दिनांक- 25.04.2023
- 17-इस कार्यालय का पत्रांक- 3833/रेनुकूट/15-108 दिनांक- 17.05.2023
- 18-आपका पत्रांक- 09 दिनांक- 31.05.2023
- 18-इस कार्यालय का पत्रांक- 4284/रेनुकूट/15-108 दिनांक- 21.06.2023
- 19-आपका पत्रांक- 18 दिनांक- 12.09.2023
- 20-इस कार्यालय का पत्रांक- 1014/रेनुकूट/15-108 दिनांक- 21.09.2023
- 21-इस कार्यालय का पत्रांक- 3906/रेनुकूट/15-108 दिनांक- 10.04.2024
- 22-आपका पत्र संख्या- 35 दिनांक- 07.10.2024
- 23-इस कार्यालय का पत्रांक- 1261/रेनुकूट/15-108 दिनांक- 08.10.2024
- 24-आपका पत्रांक- 44 दिनांक- 02/०५.०१.२०२५ प्राप्त दिनांक- 22.01.2025
- 25-इस कार्यालय का पत्रांक- 2755/रेनुकूट/15-108 दिनांक- 10.02.2025
- 26-आपका पत्रांक- 58 दिनांक- 07.05.2025
- 27-इस कार्यालय का पत्रांक- 4366/रेनुकूट/15-108 दिनांक- 24.05.2025
- 28-आपका पत्रांक- 69 दिनांक- 23.08.2025

महोदय,

विषयक प्रकरण में संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करे । प्रश्नगत प्रकरण में भारत सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक- 29.03.2023 व मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ के संदर्भित पत्र दिनांक- 31.03.2023 द्वारा दो बिन्दुओं से संबंधित निम्न सूचना/अभिलेखों की माँग की गयी :-

|          |                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| क्र० सं० | भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर एच० अलीगंज, लखनऊ का पत्र संख्या- 8बी/यू०पी०/०५/३४/२०२२/एफ०सी०/९९१ दिनांक- 29.03.2023 में अंकित बिन्दु । |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|   |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | No non-forest land is available in the State for raising Compensatory Afforestation .                                                                                                                                                             |
| 2 | No other category of forest land such as revenue lands/zudupi jungle/chhote/bade jharka jungle which is not under the management and/or administrative control of the State forest Department is available for raising Compensatory Afforestation |

उक्त दोनो बिन्दुओ से संबंधित सूचना/अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु प्रभाग के संदर्भित पत्रों द्वारा अप्रैल 2022 से लगातार आपसे अनुरोध किये जाने के उपरान्त आपके द्वारा अनुपालन न करते हुए संदर्भित पत्र दिनांक- 02/05.01.2025 तथा 07.05.2025 द्वारा भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र दिनांक- 17.12.2024 के बिन्दु संख्या- (iv) में उल्लिखित निम्न विवरण का उल्लेख करते हुए प्रश्नगत प्रस्ताव में 61 हे० अवनत वन भूमि पर सी०ए० स्कीम की सहमति देते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही करने हेतु अनुरोध किया गया है ।

As per the provisions of the van (sanrakshan evam samvardhan ) amendment rules 2024 project of central government entities/ CPSU and captive coal blocks of the state PSUs are eligible for raising CA over degraded forest land which will be double in extent of the forest land being diverted. accordingly, the state government/UT shall not insist for providing non-forest land as CA unless in cases wherein the central government agencies/CPSUs or state government PSUs with captive coal blocks are forthcoming to provide non-forest land available with them as CA or the state government/ UT administration is willing to provides non-forest land on such terms and condition which is agreed by the central government agencies/ CPSUs or state government PSUs in case of captive coal blocks.

यहाँ यह उल्लेख करना है कि भारत सरकार द्वारा जारी उक्त आदेश दिनांक- 17.12.2024 एवं 17.03.2025 के क्रम में उ०प्र० शासन/मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ के स्तर से अनुपालन किये जाने हेतु कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है । प्रश्नगत प्रकरण में आपके पत्र संख्या-67 दिनांक-09.08.2025 द्वारा मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ को सम्बोधित करते हुए प्रस्तावित वन भूमि 30.50 हे० के दोगुने अवनत वन भूमि 61.00 हे० पर क्षतिपूरक वनीकरण किये जाने हेतु सहमती प्रदान करने का अनुरोध किया गया। उक्त के क्रम में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उ०प्र० लखनऊ ने अपने कार्यालय के पत्र संख्या-621/11-सी-FP/UP/MIN/24551/2017 लखनऊ दिनांक- 20. 08.2025 द्वारा उप वन संरक्षक (केन्द्रीय) भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र) केन्द्रीय भवन अलीगंज लखनऊ को वास्तु स्थिति से अवगत कराते हुए क्षतिपूरक वनीकरण दोगुने अवनत वनभूमि पर किये जाने के सम्बन्ध में उचित दिशा निर्देश देने हेतु अनुरोध किया गया है।

अतः प्रश्नगत प्रकरण में गैर वन भूमि से छूट के संबंध में भारत सरकार/उ०प्र० सरकार के स्तर से जब तक कोई स्पष्ट आदेश प्राप्त नहीं होता है तब तक प्रश्नगत प्रकरण में प्रभाग स्तर से दोगुने अवनत वन भूमि पर वृक्षारोपण के संबंध में आख्या उच्च स्तर पर प्रेषित करना संभव नहीं है, कृपया भारत सरकार से निर्देश प्राप्त होने पर तदनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय

(कमल कुमार)

प्रभागीय वनाधिकारी

रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट